



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1129]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939

No. 1129]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/VAISAKHA 4, 1939

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2017

**का.आ.1274(अ).**—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम 3 के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 226(अ), तारीख 23 जनवरी, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्याक 1 से 46 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

**धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (क) के अधीन सदस्य**

“1. श्री कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - अध्यक्ष-पदेन

**धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के अधीन सदस्य**

2. श्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी, राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - उपाध्यक्ष-पदेन

3. श्री गिरिराज सिंह, राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - उपाध्यक्ष-पदेन

**धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अधीन सदस्य**

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य - सदस्य-पदेन

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश राज्य - सदस्य-पदेन

6. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, झारखंड राज्य - सदस्य-पदेन

7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, गुजरात राज्य - सदस्य-पदेन
8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, कर्नाटक राज्य - सदस्य-पदेन
9. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के प्रभारी मंत्री, त्रिपुरा राज्य - सदस्य-पदेन
- धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (घ) के अधीन सदस्य**
10. श्री राहुल कासवान, संसद सदस्य (लोक सभा) - सदस्य
11. श्री नित्यानंद राय, संसद सदस्य (लोक सभा) - सदस्य
12. संसद सदस्य (राज्य सभा) - मनोनीत किए जाने हैं
- धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) के अधीन सदस्य**
13. प्रशासक (उप-राज्यपाल) पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र - सदस्य-पदेन
- धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन सदस्य**
14. सचिव, भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय - सदस्य-पदेन
- धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (छ) के अधीन सदस्य**
15. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय - सदस्य-पदेन
16. सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय - सदस्य-पदेन
17. सचिव, भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - सदस्य-पदेन
18. सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग - सदस्य-पदेन
- धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अधीन सदस्य**
19. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक - सदस्य-पदेन
- धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (झ) के अधीन सदस्य**
20. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक - सदस्य-पदेन
- धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ञ) के अधीन सदस्य**
21. अध्यक्ष, भारतीय बैंक एसोसिएशन - सदस्य-पदेन
- धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ट) के अधीन सदस्य**
22. कार्यपालक निदेशक और उनसे ऊपर, भारतीय रिजर्व बैंक - सदस्य-पदेन
- धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ठ) के अधीन सदस्य**
23. राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन (एसईडब्ल्यूए), अहमदाबाद - सदस्य
24. राष्ट्रीय अध्यक्ष, नॉर्थ-ईस्ट विमेंस अट्रिप्रेन्योर एसोसिएशन, गुवाहाटी - सदस्य
25. राष्ट्रीय अध्यक्ष, कंफेडरेशन ऑफ विमेन अट्रिप्रेन्योर (सीओडब्ल्यूई), हैदराबाद - सदस्य
26. राष्ट्रीय अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मिडियम इंटरप्राइजेज (एफआईएसएमई), नई दिल्ली - सदस्य
27. राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया कंफेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री एसोसिएशन, नई दिल्ली - सदस्य
28. अध्यक्ष, तमिलनाडु स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्री एसोसिएशन (टीएनएसटीआईए), चेन्नई - सदस्य
29. अध्यक्ष, उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भुवनेश्वर (ओडीसा) - सदस्य

30. राष्ट्रीय अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती (एलयूबी), नई दिल्ली सदस्य
31. महानिदेशक, इंडिया एसएमई फोरम, मुंबई सदस्य
32. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ नॉर्थ-ईस्ट रिजन (एफआईएनईआर), गुवाहाटी सदस्य
33. अध्यक्ष, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई), पुणे सदस्य
34. अध्यक्ष, एसोचैम, नेशनल काँसिल फॉर एसएमई, नई दिल्ली सदस्य
35. अध्यक्ष, कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीओडीआईएसएसआईए), कोयम्बतूर सदस्य
36. अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), (एसएमई चैप्टर), नई दिल्ली सदस्य
37. अध्यक्ष, कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई), (एसएमई चैप्टर), नई दिल्ली सदस्य
38. अध्यक्ष, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसएमई चैप्टर), नई दिल्ली सदस्य
39. अध्यक्ष, कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन (केएसएसएसआईए), बेंगलुरु सदस्य
40. राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन (आईआईए), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) सदस्य
41. राष्ट्रीय अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफएसआईआई), नई दिल्ली सदस्य
42. अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, पटना सदस्य

**धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ड) के अधीन सदस्य**

43. श्रीमती सुषमा पाल बेरलिया, को-प्रमोटर एवं अध्यक्ष, एपीजे सत्य एंड स्वर्ण समूह, गुडगांव अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति-सदस्य
44. श्री पूरन डावर, अध्यक्ष, डावर फुटवियर इंडस्ट्री, आगरा उद्योग के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति-सदस्य
45. श्री टी.मुरलीधरन, अध्यक्ष, टीएमआई समूह, हैदराबाद विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति-सदस्य

**धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ढ) के अधीन सदस्य**

46. राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) सदस्य
47. राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंद मजदूर सभा (एचएमएस) सदस्य

**धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ण) के अधीन सदस्य**

48. अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) सदस्य सचिव-पदेन

[फा.सं. 2(01)/2017/एनबीएमएसएमई]

सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, अपर सचिव और विकास आयुक्त

**टिप्पणी:-** मूल अधिसूचना, असाधारण अधिसूचना संख्या का.आ. 226 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई:

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	का.आ. 34(अ)	5 जनवरी, 2017;
2.	का.आ. 1955	24 सितम्बर, 2016

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th April, 2017

**S.O. 1274 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), read with rule 3 of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises Rules, 2006, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises, and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O.226(E), dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015, namely:—

In the said notification, for serial numbers 1 to 46 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

**Members under clause (a) of sub-section (3) of section 3**

- “1. Shri Kalraj Mishra, Union Minister, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises —Chairperson – *ex officio*;

**Members under clause (b) of sub-section (3) of section 3**

2. Shri Haribhai Parathibhai Chaudhary, Minister of State, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises —Vice-Chairperson – *ex officio*;  
3. Shri Giriraj Singh, Minister of State, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises —Vice-Chairperson – *ex officio*;

**Members under clause (c) of sub-section (3) of section 3**

4. Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Uttar Pradesh —Member – *ex officio*;  
5. Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Madhya Pradesh —Member – *ex officio*;  
6. Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Jharkhand —Member – *ex officio*;  
7. Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Gujarat —Member – *ex officio*;  
8. Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Karnataka —Member – *ex officio*;  
9. Ministers in-charge of Micro, Small and Medium Enterprises, State of Tripura —Member – *ex officio*;

**Members under clause (d) of sub-section (3) of section 3**

10. Sh. Rahul Kaswan, Member of Parliament (House of the People) —Member;  
11. Sh. Nityanand Rai, Member of Parliament (House of the People) —Member;  
12. Member of Parliament (Council of States) — to be nominated

**Members under clause (e) of sub-section (3) of section 3**

13. Administrator (Lieutenant Governor) of the Union territory of Puducherry —Member – *ex officio*;

**Members under clause (f) of sub-section (3) of section 3**

14. Secretary to the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises —Member – *ex officio*;

**Members under clause (g) of sub-section (3) of section 3**

15. Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance —Member – *ex officio*;  
16. Secretary to the Government of India in the Ministry of Labour and Employment —Member – *ex officio*;

17. Secretary to the Government of India in the Ministry of Food Processing Industries —Member – *ex officio*;
18. Secretary to the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion —Member – *ex officio*;
- Members under clause (h) of sub-section (3) of section 3**
19. Chairman of the National Bank for Agriculture and Rural Development —Member – *ex officio*;
- Members under clause (i) of sub-section (3) of section 3**
20. Chairman and Managing Director of the Small Industries Development Bank of India —Member – *ex officio*;
- Members under clause (j) of sub-section (3) of section 3**
21. Chairman of the Indian Banks' Association —Member – *ex officio*;
- Members under clause (k) of sub-section (3) of section 3**
22. Executive Director and above, Reserve Bank of India —Member – *ex officio*;
- Members under clause (l) of sub-section (3) of section 3**
23. National President of the Self Employed Women's Association (SEWA), Ahemdabad —Member;
24. National President of the North East Women Entrepreneurs Association, Guwahati —Member;
25. National President of the Confederation of Women Entrepreneurs (COWE), Hyderabad —Member;
26. National President of the Federation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises (FISME), New Delhi —Member;
27. National President of the All India Confederation of Small and Micro Industries Associations, New Delhi —Member;
28. President of the Tamil Nadu Small and Tiny Industries Association (TANSTIA), Chennai —Member;
29. President of The Utkal Chamber of Commerce and Industry, Bhubaneswar (Odisha) —Member;
30. National President of the Laghu Udyog Bharti (LUB), New Delhi —Member;
31. Director General of the India SME Forum, Mumbai —Member;
32. Chairman of the Federation of Industry and Commerce of NER (FINER), Guwahati —Member;
33. Chairman of the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI), Pune —Member;
34. Chairman of the ASSOCHAM National Council for SMEs, New Delhi —Member;
35. President of the Coimbatore District Small Industries Association (CODISSIA), Coimbatore —Member;
36. Chairman of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), (SME Chapter), New Delhi —Member;
37. Chairman of the Confederation of Indian Industry (CII) (SME Chapter), New Delhi —Member;
38. Chairman of the PHD Chamber of Commerce and Industry (SME Chapter), New Delhi —Member;
39. President of the Karnataka Small Scale Industries Association (KASSIA), Bangalore —Member;

40. National President of the Indian Industries Association (IIA), Lucknow (UP) —Member;
41. National President of the Federation of Associations of Small Industries of India (FASII), New Delhi —Member;
42. President of the Bihar Industries Association, Patna —Member;
- Members under clause (m) of sub-section (3) of section 3**
43. Mrs. Sushma Paul Berlia, Co-promoter and President, Apeejay Stya and Svrn Group, Gurgaon —Member – representing the field of economics;
44. Shri Puran Dawar, Chairman, Dawar Footwear Industries, Agra —Member – representing the field of industry;
45. Shri T. Murlidharan, Chairman, TMI Group, Hyderabad —Member – representing the field of science and technology;
- Members under clause (n) of sub-section (3) of section 3**
46. National President of the Bhartiya Mazdoor Sangh (BMS) —Member;
47. National President of the Hind Mazdoor Sabha (HMS) —Member;
- Members under clause (o) of sub-section (3) of section 3**
48. Additional Secretary and Development Commissioner in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises —Member Secretary— *ex officio.*”.

[F.No.2 (01)/2017/ NBMSME]

SURENDRA NATH TRIPATHI, Addl. Secy. and Development Commissioner

**Note.**—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O.226(E), dated the 23<sup>rd</sup> January, 2015 and subsequently amended *vide* the following notifications:—

Serial Number	Notification Number	Date of notification
1.	S.O.34(E)	5 <sup>th</sup> January, 2017;
2.	S.O. 1955	24 <sup>th</sup> September, 2016.